न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/315

1. दिलीप पुत्र श्री जगन्नाथ जी मेघवंशी निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मथुरा लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी मेघवंशी निवाी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल पुत्र बिरधीलाल मेघवंशी निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रानी बाई पत्नी राजेन्द्र बैरवा निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीमा कुमारी पुत्री रामेश्वर जी बैरवा निवासी काला तालाब लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती मंजू कर्दम पत्नी श्री प्रकाश चन्द जाटव निवासी डडवाडा कोटा जं0 ।
5. नाथी बाई पत्नी श्री चम्पालाल मेघवाल निवासी रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/316

1. श्रीमती रानी बाई पत्नी राजेन्द्र बैरवा निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सीमा कुमारी पुत्री रामेश्वर जी बैरवा निवासी काला तालाब लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती मंजू कर्दम पत्नी श्री प्रकाश चन्द जाटव निवासी डडवाडा कोटा जं0 ।
4. नाथी बाई पत्नी श्री चम्पालाल मेघवाल निवासी रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल पुत्र बिरधीलाल मेघवंशी निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मथुरा लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी मेघवंशी निवाी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. दिलीप पुत्र श्री जगन्नाथ जी मेघवंशी निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपील संख्या 18/315 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/316 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 18/316 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/315 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 5 की ओर से ।
3. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 19.02.2019

1. अपीलान्टगण द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में सलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के दादा रघुनाथ आत्मज गोपाल एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता जगन्नाथ वल्द भैरू के नाम शामलाती खाते में ग्राम रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 158 की 06 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 158/435 की 06 बीघा कुल दो किता की 12 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । गत सेटलमेंट से पूर्व प्रतिवादीगण के पिता जगन्नाथ जी ने प्रतिवादी क्रम 3 के राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर खातेदार रूघनाथ जी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवा दिया और उक्त भूमि जगन्नाथ जी ने ही अपने नाम मिली भगत कर दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि अविभाजित भूमि थी जिसमें रूघनाथ जी का 1/2 हिस्सा था । बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 228 की 0.97 हैक्टर व खसरा नम्बर 286 की 0.99 हैक्टर कुल 02 किता की 1.96 हैक्टर कायम किये गये । वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज है । प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का विभाजन करवाकर खसरा नम्बर 228 की 0.97 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 मथुरा लाल ने अपने अलग खाते दर्ज करवा ली तथा खसरा नम्बर 286 की 0.99 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 2 दिलीप ने अपने नाम अलग खाते दर्ज करवा ली । रूघनाथ जी के एकमात्र पुत्र बिरधी लाल जी थे तथा बिरधीलाल जी का एक मात्र पुत्र व वारिस वादी है । खातेदार जगन्नाथ जी ने राजस्व रिकॉर्ड में से खातेदार रूघनाथ का नाम हटवा दिया और सम्पूर्ण भूमि अपने खाते दर्ज करवा ली जबकि रूघनाथ जी के 1/2 हिस्से की भूमि पर उनके पुत्र बिरधीलाल व बिरधी लाल की मृत्यु के बाद वादी का नाम अंकित होना चाहिए था । रूघनाथ जी वादी के दादा है और उनके 1/2 हिस्से की भूमि पर वे काबिज काश्त हैं । इस कारण उक्त शामलाती अविभाजित भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं ।

4. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 228 की 0.97 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ वादी का नाम 1/2 हिस्से से दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे एवं नये खसरा नम्बर 286 की 0.99 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 2 के साथ वादी का नाम 1/2 हिस्से से दर्ज किया जावे । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर वादी को उसके 1/2 हिस्से की भूमि पर अलग से उनके खाते दर्ज किये जाने एवं उनके हिस्से में प्राप्त भूमि पर वादी को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें ।

5. प्रतिवादीगण ने जबावदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.06.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर दावा वादी डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपीलान्ट ने अपील संख्या 18/315 एवं प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 07 अपीलान्ट ने अपील संख्या 18/316 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

8. दोनों अपीलें अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपील संख्या 18/316 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 का अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 4 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजी के दोनों सहखातेदारों रूघनाथ एवं जगन्नाथ ने मौके पर बंटवारा कर लिया था । रूघनाथ आत्मज गोपाल का मौके पर 06 बीघा पर कब्जा और जगन्नाथ आत्मज भैरू का 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर कब्जा था । तद्नुसार रूघनाथ ने अपने कब्जे काश्त और हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 158/435 की रकबा 06 बीघा भूमि वाके ग्राम रंगतालाब तहसील लाडपुरा दिनांक 10.05.1965 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जगन्नाथ आत्मज भैरू को बेचान कर कब्जा संभला दिया । नामान्तरकरण संख्या 58 से उक्त बेचान के आधार पर रूघनाथ की आराजी जगन्नाथ के खाते दर्ज हो गयी थी । इस प्रकार कुल आराजी खसरा नम्बर 158 व 158/435 कुल 02 कित की 12 बीघा 06 बिस्वा भूमि जगन्नाथ के तन्हा खाते में दर्ज हुई । वादी को इस कृत्य की प्रारम्भ से ही जानकारी थी । जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान मथुरा, दिलीप, कस्तूरी, बसन्ती, कन्या व श्रीमती मुन्नी पत्नी के नाम दर्ज की गई और श्रीमती कस्तूरी, बसन्ती कन्या तथा श्रीमती मुन्नी बाई द्वारा अपना हक रिलीज किये जाने से उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 (रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3) के नाम संभाग से दर्ज की गई । तत्पश्चात् विभाजन के उपरानत उक्त भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 0.97 हैक्टर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के तथा खसरा नम्बर 286 की रकबा 0.99

हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट कम 3 के पृथक–पृथक खाते दर्ज की गई । इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 228 की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि में से 0.24 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 01 को, 0.24 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 2 को, 0.24 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 3 को तथा 0.24 हैक्टर अपीलान्ट कम 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर कब्जा संभला दिया । अपीलान्ट केतागण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं और आराजी उनके खाते में दर्ज चली आ रही है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का न तो सम्मन प्राप्त हुआ और न ही अपीलान्ट द्वारा सम्मन लेने से इंकार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर सूचना दिये बिना ही समुचित जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट कम 1 वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है कब्जे के अभाव में वाद मेन्टेनेबल नहीं था। 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के सम्बन्ध में सत्य होने की उपधारणा होती है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायलाय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपील संख्या 18/315 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 को सेटलमेंट विभाग द्वारा रूघनाथ जी का नाम नहीं हटाया प्रमाणित मानकर भी वादी के पक्ष में निर्णित करने में त्रुटि की है । पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1965 व उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 58 प्रदर्श – 3 से रूघनाथ जी के स्थान पर जगन्नाथ जी का नाम दर्ज करना प्रमाणित मानकर भी रूघनाथ जी का हिस्सा मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि सम्मिलित खातेदारी में होने मात्र से प्रदर्श– 2 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1965 वैध नहीं मानने में त्रुटि की जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र को आज तक दीवानी न्यायालय या अन्य न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी को संयुक्त खाते की मानने में त्रुटि की है । 10.05.1965 को रूघनाथ जी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जगन्नाथ को विक्रय कर दी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट कम 1 की शहादत डी.डब्ल्यू – 1 का त्रुटिपूर्ण आशय लगाया गया है । अपीलान्ट ने वादी का कब्जा स्वीकार नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपना कब्जा प्रमाणित भी नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट कम 2 से 5 के खिलाफ बिना सूचना के ही एकतरफा करने में त्रुटि की है । सन् 1965 से रूघनाथ का राजस्व रिकॉर्ड में नाम व कब्जा नहीं होने से दावा अवधि बाधित था जिसको अवधि मध्य मानने में अधीनस्थ न्यायालय में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में दावा चौथमल रेस्पोडेन्ट कम 1 ने किया है, दावा सन् 2016 में किया है । अपीलान्ट दिलीप के खाते में खसरा नम्बर 286 की रकबा 0.99 हैक्टर भूमि दर्ज है जिसके साबिक खसरा नम्बर 158/435 हैं । खसरा नम्बर 158/435 की आराजी का बेचान रूघनाथ के द्वारा जगन्नाथ के पक्ष में किया गया था इसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 58 तस्दीक किया गया था । यदि यह मान लिया जावे कि सहखातेदार होने के नाते रूघनाथ का इसमें 1/2 ही हिस्सा था तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आलेखित विक्रय पत्र खसरा नम्बर 158/435 1/2 हिस्से के लिए वैध माना जावेगा और इस खसरा नम्बर का शेष 1/2 हिस्सा पूर्व में ही जगन्नाथ के खाते में दर्ज था । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 158/435 में रूघनाथ का कोई हित–निहित नहीं है और इनके नये खसरा नम्बर 286 रकबा 0.99 हैक्टर आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज है इस कारण अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने जो दावा डिक्री किया

है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रूघनाथ एवं जगन्नाथ के संयुक्त खाते की थी । जगन्नाथ ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रूघनाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटावा दिया । उक्त भूमि में रूघनाथ का 1/2 हिस्सा था । रूघनाथ वादी रेस्पोडेन्ट के दादा थे जिसमें उनका 1/2 हिस्सा था जिस पर वे काबिज काश्त रहे हैं । वादी 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन करते हुए दावा वादी डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । रूघनाथ के द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया है । धारा 209 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दावा डिक्री किया है जो विधि सम्मत नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.06.2018 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्टगण रानी बाई एवं अन्य जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 7 हैं के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवाई गयी है, उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस क्रम में हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको जारी किये गये सम्मन का अवलोकन किया । सम्मन दिनांक 25.10.2017 को जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित किये गये हैं और इन तामीलों में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.10.2017 अंकित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 16.10.2017 की आदेशिका के अनुसार संशोधित टाईटल पेश किया गया है जो शामिल मिसल किया गया है और पत्रावली वास्ते तलबी पक्षकारान दिनांक 30.10.2017 तारीख पेशी नियत की गई है । जो सम्मन जारी किये गये हैं उसमें दिनांक 18.10.2017 जारी किया जाना अंकित है जबकि दिनांक 18.10.2017 की कोई तारीख पेशी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार निहित नहीं की गई थी और न ही जरिये रजिस्टर्ड तामील के बाबत् कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान किये हैं । इस प्रकार अपील संख्या 18/316 में अपीलान्टगण की तामीलों को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता । न्यायहित में उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

13. अपील संख्या 18/315 में अपीलान्टगण ने जो कथन किये हैं उसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 06 तनकीयात कायम की है । पत्रावली पर बयान वादी चौथमल पीडब्ल्यू–1 बालूराम, दिलीप कुमार पुत्र जगन्नाथ संलग्न है चौथमल व दिलीप कुमार के बयानात पर पीडब्ल्यू या डीडब्ल्यू अंकित नहीं है । दस्तावेजात में फोटो प्रति विक्रय पत्र प्रदर्श– 1 संलग्न है जो कि नन्दा के द्वारा रूघनाथ एवं जगन्नाथ के पक्ष में किया जाना अंकित है, यह विक्रय पत्र प्रमाणित प्रति नहीं है फिर भी इसको त्रुटिपूर्ण रूप से प्रदर्श करवाया गया है, जबकि दस्तावेज मूल अथवा उनकी प्रमाणित प्रति को ही प्रदर्श कराया जा सकता है । नामान्तरकरण संख्या 58 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2044 से 47 प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 228 और 286 की 1.96 हैक्टर आराजी जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2024 से 2048 प्रदर्श– 6 संलग्न है । इसके अलावा कुछ अन्य विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियॉ संलग्न हैं जो मथुरा

लाल के द्वारा रानी बाई, सीमाकुमारी, मंजू कर्दम और नाथी बाई के पक्ष में निष्पादित किये हैं की प्रतियॉ संलग्न हैं ।

14. इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 प्रदर्श– डी–3 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 201 की खसरा नम्बर 228 की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि मथुरा लाल पुत्र जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 प्रदर्श – डी – 4 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 115 की खसरा नम्बर 286 रकबा 0.99 हैक्टर आराजी दिलीप पुत्र जगन्नाथ के खाते में दर्ज है ।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने यह मांना है कि बिना विभाजन के खसरा नम्बर 158/435 के विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1965 मान्य नहीं है । हम अधीनस्थ न्यायालय के इस मत से सहमत नहीं हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजी रूघनाथ एंव जगन्नाथ के सहखातेदारी में दर्ज थी जिसमें दोनों का 1/2 – 1/2 हिस्सा था । यदि एक सहखातेदार रूघनाथ द्वारा खसरा नम्बर 158/435 की समस्त 06 बीघा का विक्रय दूसरे सहखातेदार को किया है तो भी यह विक्रय उनके हिस्से 1/2 तक तो वैध होगा । ऐसी स्थिति में इस विक्रय पत्र को पूर्णतया अवैध मानकर जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण है और खारिज होने योग्य है । साथ ही इस प्रकरण में यह देखा जाना भी अनिवार्य है कि दावा दायरी के दिनांक को वादी का कब्जा था अथवा नहीं, क्योंकि वादी ने धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है । ऐसी स्थिति में दावा दायरी के दिनांक को उनका कब्जा होना अनिवार्य है ।

16. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण रानीबाई एवं अन्य को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/315 एवं 18/316 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण अपील संख्या 18/316 में रानी बाई एवं अन्य को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर, जवाबदावे के आधार पर अतिरिक्त तनकी कायम कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा